

राजस्थान-सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

E-Mail 1. ayurvedajm@yahoo.co.in
2. addlayurvedajm@yahoo.co.in
3. esttayurved2014@gmail.com

Telephone No. 0145-2425047
0145-2425835
0145-2425993

क्रमांक प01/प्रति-3/जू.न.क./नियु./2015/

दिनांक

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प01/प्रति-3/जू.न.क.कम्पा0नियु0/2015 /9075 दिनांक 15.06.2015 के द्वारा राजस्थान आयुर्वेद,यूनानी होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम-1966 संशोधित नियम-2010 एवं संशोधित नियम-2013 के अन्तर्गत कम्पाउन्डर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 1/2013 के विरुद्ध डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,जोधपुर से प्राप्त वरीयता सूची के अनुसार सक्षम स्तर पर अनुमोदनोपरान्त जारी चयन सूची एवं राज्य सरकार के पत्रांक प011(29)आयु0/2010 दिनांक 19.01.2017 की पालना में निम्नांकित आशार्थी को कम्पाउन्डर नर्स जूनियर ग्रेड के पद पर रनिंग पे बेंड पी. बी-2 (9300-34800) ग्रेड पे 3600/- में कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष परिवीक्षा प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) पर मासिक नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेमूनरेशन) रु 13200/- (अक्षरे रूपये तेरह हजार दो सौ रूपये मात्र) पर निम्न शर्तों पर नियुक्ति देते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर राज.आयु.औष./चिकि. में पदस्थापन किया जाता है :-

| क्र.स. | वरियता क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | पिता का नाम | जन्म दिनांक | लिंग | संवर्ग | पदस्थापन स्थान |
|--------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 154 | नत्थीलाल सैन | रामजीलाल सैन | 02.07.1976 | पुरुष | ओ.बी.सी एन.सी | राज.आयु.औष.कुचोर आगुनी-बीकानेर |

उक्त नियुक्ति एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3906/2015 शैतानराम बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 23.09.2016 के द्वारा राज्य पक्ष में खारिज किये जाने एवं राज्य सरकार के पत्रांक प010(29)आयु0/2010 दिनांक 19.01.2017 के द्वारा प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृत के कम में जारी की गई है ।

- उक्त समस्त नियुक्तिया माननीय उच्च न्यायालय,द्वारा डी.बी.सी. रिट याचिका संख्या 10246/2013, 11009/2013, 11772/2013 में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की जाने वाली कार्यवाही के अधीन होगी तथा , याचिका संख्या 11975/2013, 12150/2013 एवं एस.बी.सि. रिट याचिका संख्या 18151/2013 के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी ।
- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2) वित्त/नियम-06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14(1) एफ डी/रुल्स 2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी.25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा ।

निर्देश:-

- उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने के की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के अन्दर अन्दर अपनी उपस्थिति पदस्थापन स्थान से संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी बीकानेर को आवश्यक रूप से देंगे। निर्धारित समयवधि में कार्य ग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
- उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित समस्त दस्तावेज जिला आयुर्वेद अधिकारी बीकानेर को प्रस्तुत करने होंगे।पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/संतान संबंधी प्रमाण पत्र /विवाह पजीयन प्रमाण पत्र /एव दहेज संबंधी प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त कर लिये गये है । ज्वार्निंग के समय सन्तान संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- अभ्यर्थी कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित कार्यालयध्यक्ष को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके संबंध में कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह अपराधिक दण्डक कार्यवाही का भागी होगा।
- उक्त नियुक्ति आदेश में अंकित अभ्यर्थी यदि पूर्व से विभाग में संविदा/अनुबन्ध/ग्रा0नर्स कम्पा0 के रूप में सेवाये दे रहा है तो उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में ड्युटी ज्वार्निंग करने पर उनका संविदा/अनुबन्ध/ग्रा0नर्स कम्पा0 के पद के आदेश तुरन्त प्रभाव से समाप्त माना जावेगा ।
- विभागान्तर्गत ग्रामीण आयुर्वेद नर्स/कम्पा0 अथवा परिचारक के पद की सेवाओ के अतिरिक्त अन्यत्र सेवाये दे रहे कार्मिको को उक्त नियुक्ति आदेश के कम में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपना त्याग पत्र स्वीकृत कराकर प्रस्तुत करना होगा ।
- संबंधित कार्यालयध्यक्ष अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व वांछित समस्त दस्तावेजो की जांच/परीक्षण उपरान्त सन्तुष्ट होने पर ही ड्युटी पर लेगे तथा कार्यभार ग्रहण संबंधी अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर सूचना पूर्ण विवरण सहित एक माह की अवधि के अन्दर अन्दर निदेशालय को अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।


//
(प्रकाश शर्मा)
निदेशक

क्रमांक प01/प्रति-3/जू.न.क./नियु./2015/ 2124-32

दिनांक 2.2.2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु:-

1. उप शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर
2. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग बीकानेर
3. उप विधी परामर्शी निदेशालय आयुर्वेद विभाग
4. जिला आयुर्वेद अधिकारी बीकानेर
5. प्रभारी ए.पी.आर शाखा निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर
6. संबधित अभ्यर्थी श्री नत्थीलाल सैन पुत्र रामजीलाल सैन ग्राम सौखरी तह0 कटुमर जिला अलवर
7. सामान्य पत्रावली


(रामस्वरूप शर्मा)
उप निदेशक